**<u>न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट-II देवबन्द, सहारनपुर।</u>**

**<u>दिनांक-30.05.2026</u>**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश 383/2025 दिनांकित 02.12.2025 के आदेशानुसार प्रत्येक न्यायालय द्वारा सी०आई०एस० पर दर्शित हो रहे समस्त ट्रैफिक चालान के वादों में तथा छोटे अपराधों में शत् प्रतिशत अभियुक्तगण पर नोटिस प्रेषित किये जाने हैं तथा प्रेषित नोटिस की तामीला आख्या पर स्वयं निरीक्षण कर प्रत्येक कार्य दिवस पर ऐसे वादों को चिन्हित करना भी सुनिश्चित किया जाना है जिसमें नोटिस प्रेषित करने के पश्चात पता अधूरा अथवा अस्पष्ट होने, न होने के कारण तामीला सम्भव न होने की आख्या आई हो। ऐसे वादों को निरीक्षण कर उन्हें विधिक रूप से धारा 281 बी०एन०एस०एस० के तहत निस्तारण हेतु चिन्हित करना सुनिश्चित करें।

चालान का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध यह मामला धारा एम०वी० एक्ट के अभियोग के अन्तर्गत लम्बित है। प्रस्तुत प्रकरण सम्मन मामलों की श्रेणी में आता है। चालान पत्रावली लम्बे समय से अभियुक्त की हाजिरी में चल रही है। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रोसेस भेजने के बावजूद भी पुलिस विभाग अभियुक्त को न्यायालय में पेश नहीं कर पाया है। जबकि अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित कराने का दायित्व पुलिस विभाग का है। प्रस्तुत प्रकरण सम्मन मामला है। अभियुक्त के मिलने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो पा रही है।

यहां पर प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी **परिपत्र संख्या C.LNO. 52/2006 दिनांकित 15.11.2006** का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिए गए हैं-

"मजिस्ट्रेट जो कि लघु/सूक्ष्म वाद (Petty Cases) विशेषतया ट्रैफिक चालान वाद का विचारण कर रहे हो तो उस दशा में मजिस्ट्रेट को पुलिस को अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सीमित अवसर देने चाहिए तथा उस दशा में जबकि पुलिस मशीनरी अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराने में असफल रहती है तो वैसे Petty Cases धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के आलोक में निस्तारित कर देने चाहिए।"

प्रस्तुत प्रकरण लम्बित है। अभियुक्त के विरुद्ध बार-बार आदेशिका जारी करने के उपरांत भी अभियुक्त को पुलिस विभाग न्यायालय में उपस्थित नहीं कर पा रहा है। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा-258 दं०प्र०सं०/ 281 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत रोके जाने का पर्याप्त आधार है।

**<u>आदेश</u>**

उक्त ई-चालान की कार्यवाही अंतर्गत धारा 281 बी०एन०एस०एस० रोकी जाती है। इस आदेश का प्रभाव अभियुक्त का उन्मोचन होगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

**(गौरव दीप सिंह)**
**अपर सिविल जज (जू०डि०)देवबन्द,**
**सहारनपुर**
**UP3741**